

लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा निम्नांकित विकास खण्ड शिक्षा अधिकारियों का स्थानांतरण समान सामार्थ्य एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख कॉलम क्रमांक ६ में अंकित विकास खण्ड में तत्काल प्रभाव से किया जाता है ।

२/ यह पदस्थापना स्वेच्छा से स्वयं के व्यय पर होने से इन्हें किसी प्रकार के यात्रा भत्ते इत्यादि के पात्रता नहीं होगी :-

स.क्र.	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी का नाम	यूनिक आई.डी. क्रमांक	वर्तमान पदस्थापना	विकास खण्ड/जिले का डाइस कोड	स्थानांतरित विकास खण्ड का नाम एवं जिला	विकास खण्ड/जिले का डाइस कोड
१	२	३	४	५	६	७
१	श्री प्रकाश रोकडे	BA3788	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी मो.बडौदिया जिला शाजापुर		विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी शाजापुर जिला शाजापुर	
२	श्री भांगीलाल डामर	BI9768	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी शाजापुर जिला शाजापुर		विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी रतलाम जिला रतलाम	


  
आयुक्त

लोक शिक्षण म.प्र.

भोपाल, दिनांक ६/५/१०

पृष्ठां. क्रमांक/स्था.२/ई/२०/२०१०/६३०  
प्रतिलिपि:-

१. निज सहायक, मान. मंत्रीजी स्कूल स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र. शासन मंत्रालय भोपाल ।
२. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन. स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल ।
३. कलेक्टर जिला शाजापुर/रतलाम ।
४. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जिला शाजापुर/रतलाम ।
५. संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभागीय कार्यालय उज्जैन ।
६. जिला कोषालय जिला शाजापुर/रतलाम ।
७. जिला शिक्षा अधिकारी जिला शाजापुर/रतलाम की ओर अग्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि संबंधित विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी को कार्यमुक्त करने के पूर्व सेवा अभिलेख से यह पुष्टि कर ले, कि स्थानांतरित विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी वर्तमान में सेवारत है तथा स्थानांतरित विकास खण्ड में पद रिक्त है । पूर्ण रूप से आश्वस्त होने पर ही सबाधता को एक सप्ताह में कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराये जाये। यदि संबंधित विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी के संबंध में किसी प्रकार की गलत एवं विपरीत जानकारी प्रकाश में आती है तो आदेश का पालन न करते हुये वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अवगत करावें । संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण उत्तरदायी होंगे । आदेश के क्रियान्वयन संबंधी पालन प्रतिवेदन १५ दिवस में अनिवार्य रूप से संचालनालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करे ।
८. संबंधित विकास खण्ड शिक्षा अधिकारियों की ओर सूचनार्थ ।

  
आयुक्त

लोक शिक्षण म.प्र.